अल्पकालिक निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों की तैयारी हेतु जनपद की तहसीलों में स्थापित मतदाता पंजीकरण केन्द्रो तथा जिला निर्वाचन कार्यालय हेतु कुल 05 (पांच) डाटा इन्ट्री आपरेटर्स आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने हेतु दिनांक 15.06.2017 की अपराह्न 02.00 बजे तक इच्छुक फर्म स्वामियों से मुहरबन्द निविदायें आमन्त्रित की गयी थीं, परन्तु प्राप्त निविदाओं में किसी भी निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तो को पूरा न करने के कारण पुनः दिनांक 23.06.2017 की अपराह्न 02.00 बजे तक इच्छुक फर्मो से मुहरबन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं ।

सेवा प्रदाता संस्था उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर, श्रम विभाग,वाणिज्यकर, सर्विस टैक्स , EPF, ESIC में पंजीकरण होना अनिवार्य है । सेवा प्रदाता के रूप में NICSI, DOEACC, UPLC आदि शासकीय संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी। सेवा प्रदाता संस्था को पंजीकरण से संबंधित साक्ष्य की फोटो प्रतियां संलग्न करनी अनिवार्य होंगी । प्रत्येक डाटा इन्ट्री आपरेटर को श्रम विभाग द्वारा समय–समय पर जारी न्यूनतम पारिश्रमिक (Minimum Wages) के आधार पर पारिश्रमिक देय होगा जिस पर नियमानुसार निर्धारित सर्विस टैक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज तथा श्रम संबंधी विभिन्न अधिनियमों के अर्न्तगत देय वैधानिक चार्जेज अलग से देय होगें । । इच्छुक सेवाप्रदाता संस्था को अपनी मुहरबन्द निविदा के साथ अर्नेस्टमनी के रूप में रू0 10,000–00 की एनएससी/एफडीआर, जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमरोहा के पक्ष में देय हो, जमा करनी होगी ।

अतः इच्छुक सेवाप्रदाता संस्था अपनी मुहरबन्द निविदाऐं दिनांक 23.06.2017 की अपराह्न 02.00 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय में रखी टेण्डर पेटिका में डाल सकते हैं । नियत समय के बाद कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी । टेण्डर फार्म किसी भी कार्य दिवस में जिला निर्वाचन कार्यालय, अमरोहा से रूपये 200.00 जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं । प्राप्त निविदाऐं उसी दिन अपराह्न 04.00 बजे निविदाताओं की उपस्थिति में खोली जायेंगी । निविदा की शर्तो आदि का विवरण **amroha.nic.in** पर भी देखा जा सकता है ।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
अमरोहा ।

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा

संख्या 1630/29–डा0इ0आ0 (का0)/2017 दिनांक 17 जून, 2017

प्रतिलिपि–1– जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2–मुख्य कोषाधिकारी अमरोहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अमरोहा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
4–जिला सूचना अधिकारी अमरोहा को इस आशय के साथ प्रेषित उक्त निविदा के आलेख्य को सर्वाधिक पढ़े जाने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों अमर उजाला, हिन्दुस्तान में सशुल्क प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें ।
5– जिला निर्वाचन कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
अमरोहा ।

फाइनेन्शियल विड

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा

निविदा पत्र

कार्य का विवरण– आउटसोर्सिंग के माध्यम से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर सहायकों की सेवाएं लिये जाने हेतु।

निविदा आमंत्रित करने वाले पत्र की संख्या–1630 दिनांक 17.06.2017 निविदा का मूल्य– 200.00

धरोहर की धनराशि रू0 10,000–00

निविदा प्रस्तुत करने का दिनांक– 23.06.2017 अपरान्ह 2.00 बजे तक

डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर सहायकों की सेवा अवधि– दिनांक 01.07.2017 से 28.02.2018 तक के लिए अनुबन्धित की जायेगी।

क्र0 सं0	कार्मिक की श्रेणी	अनुमन्य पारिश्रमिक (minimum wages) के आधार पर	सेवा प्रदाता संस्था द्वारा लिया जाने वाला सेवा शुल्क/ Administrative Charges @ 8% on colum.3	योग (3+4)	सर्विस टैक्स @14 % on colum no.5	स्वच्छ भारत सेंस @0.50% on colum no.5	कृषि कल्याण सेंस @0.50% on colum no.5	EPF एम्प्लायर शेयर (@12.36% on colum no.3)	ESIC एम्प्लायर शेयर (@4.75 % on colum no.3)	सेवाप्रदाता संस्था की भुगतान की जाने वाली धनराशि का कुल योग– (5+6+7+8+9+10)	Deduction fo EPF एम्प्लाई शेयर (@12 % on colum no.3	Deduction fo ESIC एम्प्लाई शेयर (@ 1.75% on colum no.3	कार्मिकों को वास्तविक रूप से अनुमन्य कुल धनराशि– (3–(12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	डाटा इन्ट्री/ कम्प्यूटर सहायक (प्रति कार्मिक)												

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
अमरोहा।

1–निविदाता दाता का नाम व हस्ताक्षर :–

2–निविदाता फर्म/संस्था का नामः–

3–पता एवं टेलीफोन नम्बरः–

4–संस्था का रजिस्ट्रेशन :– लघुउद्योग निगम श्रम विभाग वाणिज्यकर सर्विस टैक्स **EPF/ESIC**

5–पैन कार्ड नम्बरः–

6–टिन नम्बरः–

टेक्निकल विड

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा

निविदा पत्र

कार्य का विवरण–	आउटसोर्सिंग के माध्यम से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर सहायकों की सेवाएं लिये जाने हेतु।
निविदा आमंत्रित करने वाले पत्र की संख्या–1630 दिनांक 17.06.2017	निविदा का मूल्य– 200.00
धरोहर की धनराशि रू0 10,000–00	
निविदा प्रस्तुत करने का दिनांक–	23.06.2017 अपरान्ह 2.00 बजे तक
डाटा इन्ट्री ऑपरेटर/कम्प्यूटर सहायकों की सेवा अवधि–	दिनांक 01.07.2017 से 28.02.2018 तक के लिए अनुबन्धित की जायेगी।

नियम व शर्ते

1. टेण्डर फार्म सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 23.06.2017 की अपराह्न 02.00 बजे तक जिला निर्वाचन कार्यालय में प्राप्त किए जायेंगे तथा उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे निविदादाताओं की उपस्थिति में खोले जायेंगे ।
2. संबंधित सेवाप्रदाता संस्था को टेण्डर फार्म के साथ रू0 10,000/– (रूपये दस हजार) की एनएससी/एफडीआर जो उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमरोहा के पक्ष में बन्धक हो, धरोहर के रूप में संलग्न करनी होगी ।
3. सेवा प्रदाता संस्था का उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर, श्रम विभाग, वाणिज्यकर, सर्विस टैक्स एवं **EPF/ESIC** में पंजीकरण होना अनिवार्य है, **NICSI, DOEACC, UPLC** आदि शासकीय संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी ।
4. सेवाप्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले डाटा इन्ट्री आपरेटर/कम्प्यूटर सहायक की न्यूनतम शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हता इण्टरमीडिए + कम्प्यूटर प्रचालन में **DOEACC** सोसायटी द्वारा प्रदत्त सी.सी.सी. प्रमाण–पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष प्राप्त किसी प्रमाण–पत्र के साथ–साथ टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति अपेक्षित होगी ।
5. सेवाप्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले कार्मिकों को **ERMS** अथवा विभिन्न प्रकार के साफ्टवेयरों पर ऑनलाईन/आफलाईन डाटा इन्ट्री करने का ज्ञान हो ।
6. स्थानीय स्तर पर रखे जाने वाले कार्मिकों को नियमानुसार कुशल श्रेणी के कार्मिकों हेतु अनुमन्य न्यूनतम पारिश्रमिक (**Minimum Wages**) देय होगा जो कि वर्तमान में कार्यालय श्रम आयुक्त, उ0प्र0 जी0टी0रोड, कानपुर के पत्र संख्या–471–500 दिनांक 27.03.2017 के आधार पर कुशल श्रेणी के कार्मिकों हेतु कुल रू0 9,119/– प्रति कार्मिक, प्रति माह पारिश्रमिक निर्धारित है । उक्त अनुमन्य पारिश्रमिक वर्तमान में दिनांक 30.09.2017 तक अनुमन्य होगा । श्रमायुक्त कानपुर द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम–1948 के अर्न्तगत देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता में बढोत्तरी की दशा में उक्त धनराशि में तदनुसार वृद्धि हो जायेगी
7. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा लिया जाने वाला **Administrative Charges, (Maximum 8% on minimum wages** अथवा वास्तविक जो भी कम हो), **applicable Service Tax** (वर्तमान में सर्विस टैक्स **@ 14%, SBC @ 0.50% & KKC@ 0.50%)** तथा श्रम सम्बन्धी विभिन्न अधिनियमों के अर्न्तगत देय वैधानिक चार्जेज **EPF (Employee Share @ 12%, Employer Share @ 13.36%) & ESIC (Employee Share @ 1.75%, Employer Share @ 4.75%)** अलग से देय होंगे ।
8. **Administrative Charges** को छोड़कर शेष विद्यमान/लागू करों की दरों में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा बदलाव की स्थिति में तदनुसार उक्त दर में घटोत्तरी/बढोत्तरी हो जायेगी जिसको लागू करने का दायित्व चयनित सेवाप्रदाता संस्था का होगा ।

9. स्थानीय स्तर पर चयनित सेवाप्रदाता संस्था को **Minimum Wages** के आधार पर अनुमन्य पारिश्रमिक के सापेक्ष **8% Administrative Charges** अथवा वास्तविक जो भी कम हो,देय होगा ।
10. चयनित सेवाप्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को प्रति माह पारिश्रमिक का भुगतान केवल उनके बचत खाते में ई–पेमेन्ट के माध्यम से ही स्थानान्तरित करना होगा । कार्मिकों को कोई नकद भुगतान, चेक अथवा ड्राफ्ट से देय नहीं होगा ।
11. सेवा प्रदाता संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्मिकों को प्रत्येक माह की 07 तारीख तक अनुमन्य पारिश्रमिक का भुगतान संबंधित कर्मचारी के बचत खातें में स्थानान्तरित करना होगा तथा सर्विस टैक्स, **EPF** एवं नियमानुसार अन्य वैधानिक चार्जेज **FSIC** इत्यादि प्रत्येक माह की 15 तारीख तक जमा करना होगा तथा संबंधित सभी प्रपत्र अगले माह के पारिश्रमिक से संबंधित प्रस्तुत किये जाने वाले देयक के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराने होंगे ।
12. चयनित सेवाप्रदाता संस्था द्वारा प्रत्येक माह के पारिश्रमिक से संबंधित देयक निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह की 01 तारीख तक जिला निर्वाचन कार्यालय, अमरोहा में प्रस्तुत करने होंगे । फर्म के देयकों का भुगतान मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से आवंटन प्राप्त होने पर ही किया जायेगा। भुगतान में किसी भी प्रकार का विलम्ब होने पर अलग से कोई ब्याज आदि देय नहीं होगा।
13. आउट सोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले जिन कार्मिकों का **EPF** एवं **FSIC** खाता नहीं है, उनके एवं खाते खुलवाने की कार्यवाही चयनित सेवाप्रदाता संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी ।
14. डाटा इन्ट्री आपरेटर के कार्य छोड़ने की दशा में सेवा प्रदाता संस्था को कार्य में बिना किसी व्यवधान के अन्य डाटा इन्ट्री आपरेटर की आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी ।
15. उपरोक्त सेवाऐं दिनांक 01–07–2017अथवा चयनित सेवाप्रदाता संस्था द्वारा सेवा प्रारम्भ करने की तिथि (जो भी बाद में हो) से लेकर दिनांक 28.02.2018 तक के लिए ही अनुबंधित की जायेगी ।
16. उपरोक्त सेवाऐं पूर्णतः अस्थाई तौर पर ली जायेंगी एवं किसी भी समय सेवाप्रदाता संस्था को एक माह का नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त किया जा सकता है ।
17. निविदादाता को अपनी निविदा (टेक्निकल तथा फाइनेसियल) दो पृथक–पृथक लिफाफों में जमा करना होगा । टेक्निकल लिफाफे में एफडीआर/एनएससी कार्य से संबंधित अनुभव तथा फर्म का रजिस्ट्रेशन नं0 आदि देने होंगे तथा फाईनेशियल लिफाफे में अपनी प्रस्तावित दरें देनी होंगी ।
18. निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त संबंधित फर्म को अकंन रू0 100.00 के स्टाम पेपर पर अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना होगा।
19. किसी वाद के मामले में न्याय क्षेत्र जनपद अमरोहा होगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
अमरोहा।

1–निविदाता दाता का नाम व हस्ताक्षर :–

2–निविदाता फर्म/संस्था का नामः–

3–पता एवं टेलीफोन नम्बरः–

4–संस्था का रजिस्ट्रेशन :– लघुउद्योग निगम श्रम विभाग वाणिज्यकर सर्विस टैक्स **EPF/ESIC**

5–पैन कार्ड नम्बरः–

6–टिन नम्बरः–